FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

बागडाराम ..... बनाम ..... अशोक

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. ....29..../सन् 2015

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
5	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा .....92 RT 188..... RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23/4/15 को पेश हो। SDO	155 19/3/15
15	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की सम्मनस तामिली रिपोर्ट मिलने पत्रावली की जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 28-04-2015 को पेश हो। SDO.	
15	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय निमाज अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 05-06-2015 को पेश हो। SDO.	
15	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने ~~[illegible]~~ प्रार्थना पत्र पेश कर इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र के प्रकरण में समाज के व गोत्र के आदिज बुजुर्ग मौतबिरान द्वारा आपसी समझाइश से हमारे आपस में विवाह नहीं हुआ है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाने की इनायत करावें। विशेष खारिज किया जाने की इनायत करावें। अतः वादी द्वारा उक्त वाद वापस लिया जाकर प्रार्थना पत्र वादी का वाद जारी नहीं चलने से हक प्रार्थना पत्रावली प्रस्तुत। विशेष खारिज किया जाता है। वाद तकमील शुमार होकर नस्ती लिखकर भण्डार जमा हो। जाता खारिज हकदार लिखकर भण्डार जमा हो। SDO.	

Scanned by CamScanner